संख्या-54/2019/1748 ई-2/तेरह-2019-01/2018

प्रेषक,

डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 सितम्बर, 2019

विषय-शीरा वर्ष 2018-19 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए उपलब्ध आरक्षित शीरे की मात्रा के सापेक्ष आवश्यकता के दृष्टिगत आरक्षण प्रतिशत में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-49/दस-185(1)/शीरा नीति/2018-19, दिनांक 28.08.2019 और इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.09.2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त पत्र संख्या-1809ई-2/तेरह-2019-01/2018, दिनांक 06.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के व्यापक राजस्व हित में प्रभावी शीरा नीति 2018-19 की शेष समयावधि हेतु प्रदेश स्थित देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के पक्ष में किये जाने वाले आरक्षण प्रतिशत को तत्काल प्रभाव से 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत तथा तद्नुरूप आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य अनिवार्य रूप से निर्धारित निकासी के अनुपात 1:7 को 1:5.25 किया जाता है। शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-54/2019/1748(1)/ई-2-तेरह-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार दिवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in